

No.26012/01/2014-IPS.II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi-1
Dated the 09 September 2014

To

The Chief Secretaries of all State Governments/UTs.
The Director General of Police of all State Governments/UTs

Subject: Filing of Annual Returns of Assets and Liabilities by AIS Officer in compliance with the provision of Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of assets and the limits of Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 notified under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 - Reg.

Sir,

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 26.8.2014 regarding furnishing of information relating to assets and liabilities by IPS officers under Section 44 of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

2. In this regard, Central Government has issued notification dated 8th September 2014 containing an Order amending the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, for the purpose of extending the time limit for carrying out necessary changes in the relevant rules.

3. Government has also notified on 8th September, 2014, the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Report Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2014, **extending the time limit for filing of revised returns by all public servants from 15th September 2014 to 31st December 2014.**

4. The IPS officers in your State/Organisation may please be advised to submit their Annual Returns of Assets and Liabilities in prescribed format to their respective administrations and to this Ministry, **IPS.II Section (Room No. 219-A) North Block, New Delhi-1, on or before 31st December 2014.** The officers may also be advised to email a copy of the returns in the email address: **us-ips2@mha.gov.in.**

5. A copy of the Gazette notification dated 8th September 2014 as mentioned above is available on the website of this Ministry under IPS Cadre Management.

Yours faithfully,


(Moloy Sanyal)

Under Secretary to the Government of India.

Telefax : 23092856

Copy forwarded for necessary action to :

1. All Ministries/Department of Government of India.
2. Joint Secretary (UT Division), Ministry of Home Affairs, New Delhi – in respect of AGMU cadre.
3. Director General-BSF/CRPF/CISF/SSB/ITBP/NSG/NIA/NCB/BPR&D/Civil Defence.
4. Director IB, CBI, R&AW, SPG.
5. Director NPA, NCRB, NICFS, NEPA.
6. President Secretariat/Cabinet Secretariat/PMO.
7. NIC MHA- for placing this circular on the website of MHA (under IPS Cadre Manangement/Immovable property Return).

भाष्कर खुल्बे
Bhaskar Khulbe
अपर सचिव
Additional Secretary
Tel. : 23094010
Telefax : 23092580



भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS
NORTH BLOCK, NEW DELHI - 110001
www.persmin.nic.in
e-mail ID : adsecysv-dopt@nic.in

D.O.No. 407/12/2014-AVD-IV(B)

Dated: 8th September, 2014

Dear Secretary,

Please refer to my D.O. letter of even No. dated 1st August, 2014 regarding furnishing of information relating to assets and liabilities by public servants under section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

2. In this regard, I am forwarding a copy of the Central Government's notification dated 08th September, 2014 (**Annexure-I**), containing an Order amending the Lokpal & Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, for the purpose of extending the time limit for carrying out necessary changes in the relevant rules relating to different services from "two hundred and seventy days" to "three hundred and sixty days", from the date on which the Act came into force, i.e., 16th January, 2014.

3. Government has also notified on 8th September, 2014, the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2014, **extending the time limit for filing of revised returns by all public servants from 15th September, 2014 to 31st December, 2014.** A copy of the notification containing the said amendment Rules is enclosed (**Annexure-II**).

4. I request you to kindly issue orders towards ensuring compliance with these Rules by all officers and staff in your Ministry/Department and in various organisations/PSUs under the control of your Ministry/Department, within the revised time-limit mentioned in the amended Rules, by filing their revised returns of assets and liabilities to the competent authority on or before 31st December, 2014.

5. I also request you to kindly ensure that necessary follow-up action for harmonising the provisions of the relevant rules relating to all categories of public servants (as defined in the Act) falling under the jurisdiction/ administrative /cadre control of your Ministry/Department is completed within the revised time limit of 360 days now provided in the Order dated 8th September, 2014 (Annexure-I).

Encl: As above

To Secretaries
All Ministries/Departments of the Government of India

With warm regards
Yours sincerely,
Bhaskar Khulbe
8/9/14
(Bhaskar Khulbe)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1765]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936

No. 1765]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2014

का.आ. 2256(अ).—केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस तारीख से जिसको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होते हैं, अर्थात् 16 जनवरी, 2016 से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के भीतर, लोकसेवकों द्वारा संपत्ति विवरणियों की फाइलिंग को विनियमित करने के लिए और आस्तियों की घोषणा करने के प्रयोजन के लिए, जिससे कि उन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके, सभी विद्यमान नियमों में उपांतरण और संशोधन करने के प्रयोजन के लिए 15 फरवरी, 2014 से, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने लोकसेवकों द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, विधि और न्याय विभाग (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग और राज्य सरकारों के परामर्श से वार्षिक विवरणी फाइल करने और आस्तियों की घोषणा करने से संबंधित विषय वस्तु से व्यौहार करने वाले सभी विद्यमान नियमों के उपांतरण/संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की है;

और उपरोक्त प्राधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ और समय लगना था और विद्यमान नियमों को उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों के अनुरूप करने की प्रक्रिया में उक्त आदेश में अधिसूचित अवधि के परे समय लग रहा था और इसलिए केन्द्रीय सरकार ने 14 जुलाई, 2014 को उक्त आदेश को संशोधित करके एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि को दो सौ सत्तर दिनों तक विस्तारित कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार ने मंत्रालयों/विभागों जिसके अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श करने के पश्चात् लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों को, 14 जुलाई, 2014 को, उनमें उन प्ररूपों को विहित करते हुए जिनमें प्रत्येक लोकसेवक द्वारा सूचना और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की जानी हैं, अधिसूचित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई और संबंधित मंत्रालय, विभाग और संगठनों तथा उनके नियंत्रण के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा अनुपालना का सुनिश्चय करें;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उन सभी से उक्त नियमों की अनुपालना के सुनिश्चय की अपेक्षा करें;

और कुछ मंत्रालय/विभागों, संगठनों और व्यष्टिकों ने लोकसेवक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सूचना को लोक डोमेन में रखने पर तथा विहित प्रारूपों में ऐसे व्यौरों को प्रस्तुत करने में और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर उनके प्रकाशन में अंतर्वर्तित जटिलताओं तथा ऐसे व्यौरों को भरने के पश्चात् विशेषकर जंगम संपत्ति में लोकसेवकों की भेद्यता की प्रचंडता पर चिंताएं और आशंकाएं उठाई हैं जिससे लोकसेवक के पारिवारिक सदस्यों विशेषकर बालकों की सुरक्षा और संरक्षा पर आशंका व्यक्त की है;

और केन्द्रीय सरकार ने, पूर्वोक्त वास्तविक चिंताओं और आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए उन प्ररूपों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए जिनमें लोकसेवक उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेंगे जैसा कि अधिनियम के अधीन और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित है, 28 अगस्त, 2014 को एक समिति का गठन किया है और समिति से उक्त नियमों के अधीन विहित प्ररूपों की जांच करने और उनमें ऐसे परिवर्तनों का जो आवश्यक समझे जाएं, पैतालीस दिन की अवधि के भीतर सुझाव देने की अपेक्षा है ;

और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विभिन्न कैडर प्राधिकारियों के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों से संबंधित विद्यमान नियमों के पुनरीक्षण का कार्य, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने तथा उन प्ररूपों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के कार्य, जिनमें लोकसेवक आस्तियों और दायित्वों की घोषणाएं करेंगे, में उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दो सौ सत्तर दिन की अवधि से परे समय लगने की संभावना है (जैसा कि 14 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है) उक्त दो सौ सत्तर दिन की अवधि को तीन सौ साठ दिन की अवधि तक विस्तारित करना आवश्यक हो गया है और केन्द्रीय सरकार ने तदनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुसरण करने के पश्चात् सुसंगत नियमों का संशोधन करने के लिए समयावधि को विस्तारित करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (1) में , "दो सौ सत्तर दिन से अनधिक अवधि के भीतर", शब्दों के स्थान पर , "तीन सौ साठ दिन से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख)भाग-I]

भास्कर खुलबे, अपर सचिव

टिप्पण : लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं.का.आ. 409 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं.का.आ. 1840 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित आदेश तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2014

S.O. 2256(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act), made the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 (hereinafter referred to as the said Order) with effect from the 15th February, 2014 for the purpose of carrying out modifications and amendments in all existing rules regulating the filing of property returns and making of declaration of assets by public servants so as to bring them in conformity with the provisions of the said Act, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date on which the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 came into force, i.e., 16th January, 2014;

And whereas the Central Government initiated the process of modification/amendment of all existing rules dealing with the subject matter of filing of annual returns and making of declaration of assets by public servants in consultation with various authorities, such as, the Comptroller and Auditor General of India, the Election Commission, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department), the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises and the State Governments;

And whereas the comments/suggestions received from above said authorities had been under consideration of the Central Government and the completion of the procedure of finalising the rules under the said Act was likely to take some more time and the process of harmonisation of the existing rules with the provisions of the said Act and the rules made thereunder was taking time beyond the period notified under the said Order, and, therefore, the Central Government amended the said Order on 14th July, 2014, extending the said period of one hundred and eighty days to a period of two hundred and seventy days;

And whereas the Central Government has, after consulting the Ministries/Departments, including the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises, the Ministry of Law and Justice and the office of the Comptroller and Auditor General of India, made the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, and notified the said rules on 14th July, 2014, prescribing therein the forms in which information and annual returns are to be filed by every public servant;

And whereas the Central Government has forwarded the copies of the notification containing the said rules to all Ministries and Departments of the Central Government requesting them to take the follow-up action in terms of the said rules, and for ensuring compliance with the said rules by all officers and staff in the respective Ministry, Department and organisations and public sector undertakings under their control;

And whereas the Central Government has also forwarded the copies of the notification containing the said rules to the Chief Secretaries of all State Governments and Union territories, requesting them to take the follow-up action in terms of the said rules requiring all officers of the All India Services working in connection with the affairs of the State Governments and the officers and staff working in various organisations and public sector undertakings under their control so as to ensure due compliance with the said rules by all of them;

And whereas, concerns and apprehensions have been raised by some Ministries/Departments, Organisations and individuals about the posting of every information provided by the public servant on public domain and the complexities involved in posting such details in the prescribed formats and also about exacerbation of vulnerabilities of the public servants after filing such details, specifically of movable property and their publication on the websites of respective Ministries/Departments giving rise to the apprehension of the safety and security of the members particularly children of the public servant;

And whereas, keeping in view the genuine concerns and apprehensions aforesaid, the Central Government has constituted a Committee on 28th August, 2014 to simplify the forms and the process in which public servants shall make declaration of assets and liabilities as required under the said Act and the rules made thereunder and the Committee is required to examine the forms prescribed under the said rules and suggest changes therein as may be considered necessary within a period of forty-five days;

And whereas, the exercise of reviewing the existing rules relating to various services and posts under various cadre authorities with the provisions of the said Act and the rules made thereunder, the process of completion of follow-up action by various Ministries and Departments of the Central Government and the State Governments and the exercise of simplification of the forms and the process in which public servants shall make declarations of assets and liabilities, are likely to take time beyond the period of two hundred and seventy days as specified in the said Order (as amended by the Order, dated 14th July, 2014), it has become necessary to extend the said period of two hundred and seventy days to a period of three hundred and sixty days, and the Central Government has accordingly decided to extend the period to complete this process and to notify the amendments in the relevant rules after following the procedural requirements;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, namely:—

In the said Order, in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words “within a period not exceeding two hundred and seventy days”, the words “within a period not exceeding three hundred and sixty days” shall be substituted.

[No.407/12/2014-AVD-IV(B) Pt.-I]

BHASKAR KHULBE, Addl. Secy.

Note.—The Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 409(E), dated 15th February, 2014 and was amended by Order dated 14th July, 2014 published vide notification number S.O. 1840(E), dated 15th July, 2014.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936

No. 466]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2014

सा.का.नि. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उप-धारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 में, उप-नियम (2) के परंतुक में, "15 सितंबर, 2014 को या उससे पूर्व" शब्दों के स्थान पर "31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख)भाग-I]

भास्कर खुलबे, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2014

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of Section 59 read with Section 44 and Section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, in rule 3, in the proviso to sub-rule (2), for the words “on or before the 15th day of September, 2014”, the words “on or before the 31st day of December, 2014” shall be substituted.

[F.No. 407/12/2014-AVD-IV(B) Pt.-I]

BHASKAR KHULBE, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2014/ आषाढ़ 23, 1936

No. 363]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2014/ASADHA 23, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 501(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) का खंड (ट) और खंड (ठ) का साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 तथा धारा 45 का साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए लोक सचकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अंतर्विष्ट करने वाली सूचना और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का उपबंध करने का लिए और उन आस्तियों जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 45 का अधीन लोक सचक द्वारा ऐसी सूचना दखाना सखूट दा सका का न्यूनतम मूल्य का उपबंध करने का लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सचक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी दखाना तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट का लिए सीमाएं) नियम, 2014 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ सखान्यथा अपक्षित न हो, --

(क) “अधिनियम” सख लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्राप्त हैं ;

- (ख) “परिशिष्ट” सॉइन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रस्त है;
- (ग) “वार्षिक विवरणी” सॉधारा 44 की उपधारा (4) का अधीन लोक सचक द्वारा फाइल की जानावाली वार्षिक विवरणी अभिप्रस्त है ;
- (घ) “घोषणा” सॉधारा 44 की उपधारा (1) का अधीन लोक सचक द्वारा की गई आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अभिप्रस्त है ;
- (ङ) “प्ररुप” सॉपरिशिष्ट - 2 में विनिर्दिष्ट कोई प्ररुप अभिप्रस्त है ;
- (च) “सूचना” सॉधारा 44 की उपधारा (3) का अधीन लोक सचक द्वारा दी जानावाली अपक्षित सूचना अभिप्रस्त है ;
- (छ) “धारा” सॉअधिनियम की धारा अभिप्रस्त है ;

3. सूचना और वार्षिक विवरणी दल्लाकी रीति — (1) प्रत्यक लोक सचक, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) का अधीन अपक्षित सूचना और परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट प्ररुप 1 सॉप्ररुप 4 में धारा 44 की उपधारा (4) का अधीन वार्षिक विवरणी का साथ परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में धारा 44 की उपधारा (1) का अधीन अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करल्ला ।

(2) प्रत्यक लोक सचक, उस वर्ष की 31 जुलाई को या उसका पूर्व धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यक वर्ष का 31 मार्च को यथाविद्यमान अपनी आस्तियों और दायित्वों का विषय में यथास्थिति, घोषणा, सूचना या विवरणी फाइल करल्ला :

परंतु वल्लोक सचक जो एसल्लोक सचकों को लागू नियमों का उपबंधों का अधीन संपत्ति की घोषणाएं, सूचना और वार्षिक विवरणियां फाइल कर चुका हैं, 15 सितंबर, 2014 को या उसका पूर्व सक्षम प्राधिकारी को 1 अगस्त, 2014 को यथा विद्यमान यथास्थिति, पुनरीक्षित घोषणाएं, सूचना वार्षिक विवरणी फाइल करेंगल्ल ।

4. उन आस्तियों का न्यूनतम मूल्य जिन्हें सक्षम प्राधिकारी सूचना दल्लासॉछूट दासकल्ला -- उन कारणों का लिए जो सक्षम प्राधिकारी किसी आस्ति की बाबत सूचना फाइल करनल्लसॉकिसी लोक सचक को धारा 45 का परंतुक का अनुसार तब छूट दासकल्ला यदि ऐसी आस्ति का मूल्य लोक सचक का चार मास का मूल वल्लन या दो लाख रुपयल्ल जो भी अधिक हो, सॉअधिक नहीं है ।

परिशिष्ट - 1

[नियम 3(1) दाखिए]

**पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....*को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 का अधीन)**

1. लोक सचक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति (पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सच्चा संप्रबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा --

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 का उपबंधों का अधीन, मण्डल द्वारा, प्रस्तुत की जानावाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 संप्ररूप 4 मण्डलसर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास का अनुसार सत्य और ठीक है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

..

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें ।

.....

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसका स्वयं का नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम लोक सचक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरासम्मिलित होंग।

(धारा 44(2) लोक सचक उस तारीख संप्रजिसको वह अपना पदग्रहण करनका लिए शपथ लता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि का भीतर सक्षम प्राधिकारी को—

(क) उन आस्तियों का संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसका आश्रित बालक संयुक्तः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपनका और अपनकापति या पत्नी और अपनकाआश्रित बालकों का दायित्वों का संबंध में,

सूचना दणा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सचक, या तो “कर्ता” या किसी सदस्य का रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों का साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसकाऐसकासंपत्ति में अपनकाभाग का मूल्य प्ररूप सं. 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसकाभाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकणा, जहां कहीं आवश्यकता हो ।

टिप्पण 3. “आश्रित बालक” संप्रऐसकापुत्र और पुत्रियां अभिप्रप्त हैं जिनका पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वकाअपनी आजीविका का लिए पूर्णतः लोकसचक पर आश्रित हैं । (नीचका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण ।

परिशिष्ट - 2**[नियम 3 (1) दखिए]****प्ररूप संख्या 1****लोकसब्सक, उसका पति या पत्नी और आश्रित बालकों का ब्यौरा**

क्रम संख्या		नाम	धारित स्थिति यदि कोई हो	लोक यदि कोई	क्या विवरणी, उसका द्वारा पृथक रूप सॉफाइल की जाती है
1	स्वयं				
2	पति या पत्नी				
3	आश्रित - 1				
4	आश्रित - 2				
5*	आश्रित - 3				

*और पंक्ति जोड़ें यदि आवश्यक हैं

तारीख

हस्ताक्षर.....

प्ररूप संख्या 2**पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण****स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बालकों की जंगम संपत्ति का ब्यौरा**

क्रम संख्या	वर्णन		रकम रुपय में				
			स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा का ब्यौरा (एफ डी आर, निक्षेपों की अवधि, बचत खातों सहित जमा का सभी अन्य प्रकार), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्त कंपनियों	बैंक/वित्त संस्थाओं का नाम और जमा की प्रकृति					

	और सहकारी सोसाइटियों में जमा और प्रत्येक ऐसे जमा में रकम						
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों, शिखरों में विनिधान का ब्यौरा और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों में यूनिते और अन्य	कंपनी का नाम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान का ब्यौरा और किसी डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्त लिखतों में विनिधान	विनिधान का नाम					
(v)	भविष्य निधि/नई पेंशन स्कीम में जमा का ब्यौरा	विनिधान का नाम					
(vi)	वैयक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया गया अग्रिम या अस्तित्व जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि सम्मिलित हैं और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम (जो अधिक है (क) दो मास का मूल वस्तुन, जहां लागू हैं, (ख) अन्य मामलों में एक लाख रुपया)	ऋणी का नाम					
(vii)	मोटरयानों/वायुयानों/क्रीडा नौकाओं/पोत (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि, क्रय का वर्ष और रकम का ब्यौरा)	यान की प्रकृति, रजिस्ट्रीकरण की संख्या और क्रय का वर्ष					

(viii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(एं) (भार का ब्यौरा दें) ***	सोना					
		चांदी					
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु					
		स्वर्ण					
		चांदी					
	बुलियन	बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु					
(ix)	कोई अन्य अस्तियां						

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करत हुए संयुक्त नाम में आस्तियों को भी दिया जाना होगा ।

टिप्पण 2 - निक्षेपों/विनिधानों की दशा में, रकम, निक्षेप की तारीख स्कीम, बैंक का नाम/संस्था और शाखा सहित ब्यौरा दिए जाएं ।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध फर्मों का मामला में बहियों की मूल की बाबत स्टाक एक्सचेंज में चालू बाजार मूल्य का अनुसार बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य ।

टिप्पण 4 -- प्रत्येक विनिधान की बाबत रकम में सम्मिलित ब्यौरा पृथक रूप से दिए जाएं ।

टिप्पण 5 -- ऊपर (i) से (viii) का अंतर्गत नहीं आने वाला (ix) का अधीन व्यक्ति रूप से दो मास से अधिक का मूल वस्तु (जहां लागू हों) या 1.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जंगम आस्तियों का ब्यौरा को उपदर्शित किया जाए ।

प्ररूप सं. 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण**(लोक सचक, उसका पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)**

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि)	भूमि का क्षेत्र (भूमि और भवनों का मामलों में)	भूमि संपत्ति का मामला में भूमि की प्रकृति	हित का विस्तार	यदि लोक सचक का नाम नहीं है तो किसका नाम धारित है, उल्लेख करें और उसका लोक सचक की नातद्वारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैसा अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टा विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/व्यक्तियों का ब्यौरा सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सचक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण 1 दखें और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति का कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण -- 1. स्तंभ 9 का प्रयोजन का लिए, पट्टा “पद” से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि का लिए या वार्षिक किराए का लिए आरक्षित अवधि का लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्राय होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता है जिसका सरकारी सचक का साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टा की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए का संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं. 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम संख्यांक	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	रकम	लक्ष्यदार का नाम और पता	उपगत दायित्व की तारीख	संव्यवहार क ब्यौरा	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1— उधारों की व्यक्तिगत मदें जो दो मास का मूल वस्तुन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य मामलों में 1.00 लाख रुपये हैं, सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2— विवरण में वाहन का क्रय, गृह निर्माण अग्रिम आदि (वस्तुन और यात्रा भत्ता का अग्रिमों से भिन्न), भविष्य निधि से अग्रिम और उससे उधार, का लिए अग्रिम जैसे नियोजक से उपलब्ध विभिन्न उधारों और अग्रिम (टिप्पण 1 में दिए गए मूल्य से अधिक) जीवन बीमा पालिसियों तथा सावधि जमाओं पर उधार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (ख)]

पी. का दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2014.

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), read with section 44 and section 45 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to provide for furnishing of information and annual return containing declaration of assets and liabilities by public servants and to provide for minimum value of the assets which the competent authority may exempt from furnishing such information by a public servant under section 45 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014);
- (b) “Appendix” means an Appendix to these Rules;
- (c) “annual return” means the annual return to be filed by a public servant under sub-section (4) of section 44;
- (d) “declaration” means the declaration of assets and liabilities made by a public servant under sub-section (1) of section 44;
- (e) “Form” means a Form specified in Appendix-II;
- (f) “information” means the information required to be furnished by a public servant under sub-section (3) of section 44;
- (g) “section” means the section of the Act.

3. Manner of submission of information and annual return.— (1) Every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities under sub-section (1) of section 44 in the format specified in Appendix-I, along with the information required under sub-section (2), or as the case may be, sub-section (3), and the annual return under sub-section (4) of section 44 in Forms I to IV specified in Appendix-II.

(2) Every public servant shall file declaration, information or return, as the case may be, regarding his assets and liabilities as on the 31st day of March every year, to the competent authority as referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 2, on or before the 31st day of July of that year:

Provided that the public servants who have filed declarations, information and annual returns of property under the provisions of the rules applicable to such public servants shall file the revised declarations, information or as the case may be, annual returns as on the 1st day of August, 2014, to the competent authority on or before the 15th day of September, 2014.

4. Minimum value of assets which competent authority may exempt from furnishing of information.— The competent authority may, for reasons to be recorded in writing, exempt in accordance with the proviso to section 45, a public servant from filing the information in respect of any asset, if the value of such asset does not exceed four months basic pay of the public servant or rupees two lakhs, whichever is higher.

APPENDIX-I**[Rule 3(1)]****Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20.....***

(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. Name of the Public servant in full.....
(in block letters)
2. (a) Present public position held
(Designation, name and address
of organisation)
- (b) Service to which belongs
(if applicable)

Declaration:

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Date.....

Signature.....

* In case of first appointment please indicate date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—

- (a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;
- (b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

Note 3. "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (*Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013*).

APPENDIX-II
[Rule 3(1)]**FORM No. I**
Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children

SL No.		Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date.....

Signature.....

FORM No. II**Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...**

Details of the movable assets of self, spouse and dependent children:

Sl. No.	Description		Amount in Rupees				
			Self	Spouse	Dependent 1	Dependent 2	Dependent 3
(i)	Cash in hand						
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with financial Institutions, Non-Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit	Name of Bank/ Financial Institutions. & Nature of Deposit					
(iii)	Details of investment in Bonds, debentures / shares and units in companies/mutual funds and others	Name of company					
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company	Nature of investment					

(v)	Detail of deposit in Provident Fund/ New Pension Scheme	Nature of Investment					
(vi)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding (a) two months basic pay, where applicable. (b) Rupees one lakh in other cases)	Name of Debtor					
(vii)	Motor Vehicles/Aircrafts/ Yachts/Ships (Details of Make, registration number etc., year of purchase and amount)	Nature of vehicle, registration no. & year of purchase					
(viii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight) JEWELLERY *** Bullion	Gold					
		Silver					
		Precious stones/ precious metals					
		Gold					
		Silver					
		Precious stones/ precious metals					
(ix)	Any other assets						

Date.....

Signature.....

Note 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.**Note 2 :** In case of deposits/Investments, the details including Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given**Note 3:**Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and books values in case of unlisted firms.**Note 4:** Details including amount is to be given separately in respect of each investment.**Note 5:** Under (ix) details of movable assets not covered in (i) to (viii) above valuing individually over two months basic pay (where applicable), or Rs. 1.00 lakh may be indicated.

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20....
(e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

Sl. No.	Description of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	Precise location (Name of District, Division Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in name of public servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	Date of acquisition	How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/persons concerned) (Please see Note 1 below) and cost of acquisition.	Present value of the property (If exact value not known, approx value may be indicated)	Total annual income from the property	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Date.....

Signature.....

Note (1): For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

FORM No. IV**Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20....**

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Amount	Name and address of Creditor	Date of incurring Liability	Details of Transaction	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Date

Signature.....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2: The statement should also include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) available from the employer like advance for purchase of conveyance, house building advance, etc. (other than advances of pay and traveling allowance), advance from the GP Fund and loans on Life Insurance Policies and fixed deposits.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

P.K. DAS, Jt. Secy.